

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- ई-33/नेत्र सहा0/एम 123/2018/114

दिनांक : 5/3/18

आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक:ई-33/नेत्र सहायक/सीधी भर्ती/2015/337 दिनांक 24.08.2015 के द्वारा राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत नेत्र सहायको को नियुक्ति प्रदान की गई थी। निम्नलिखित नेत्र सहायको जिन्होंने दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रूप से पूर्ण करली है एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार का अवकाश/अनुपस्थित नहीं रहे है तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम 1965 के तहत एतद् द्वारा स्थाईकरण किया जाता है। इन्हे निम्नानुसार परिवीक्षा अवधि पूर्ण करने की दिनांक से वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक:एफ.15(1)/एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसरण में पद के पे मेट्रिक्स के लेवल 5 का न्यूनतम वेतन 20800/- एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन जिला	जन्म दिनांक	कार्य ग्रहण दिनांक	प्रोबेशन पूर्ण करने की दिनांक	नियत वेतनमान दिये जाने की तिथि	नियुक्ति आदेश में क्रम सं.
1	श्री संजीव शर्मा	धौलपुर	7.8.79	25.5.2015	24.5.2017	25.5.2017	3
2	श्री जयकिशोर जारवाल	डूंगरपुर	30.12.87	10.9.2015	9.9.2017	10.9.2017	91
3	श्री पीराराम	पाली	10.8.75	27.8.2015	27.8.2017	28.8.2017	11
4	सुश्री मोनिका सोनी	जोधपुर	24.8.88	28.8.2015	27.8.2017	28.8.2017	96
5	श्रीमती खुशबू पन्नू	जोधपुर	2.11.92	27.8.2015	26.8.2017	27.8.2017	28
6	श्रीमती संतोष डूडी	जोधपुर	3.8.89	27.8.2015	26.8.2017	27.8.2017	47
7	श्री हेमन्त कुमार	प्रतापगढ़	2.6.87	1.9.2015	31.8.2017	1.9.2017	92
8.	श्री पुरुषोत्तम भार्गव	बाड़मेर	2.3.91	3.9.2015	2.9.2017	3.9.2017	77

उपरोक्त कर्मचारियों का वेतन नियतन संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जावेगा एवं आदेश की पालना वित्त विभाग की अधिसूचना सं. एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 9.12.2017 में उल्लेखित निर्देशानुसार/प्रावधानानुसार किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर

क्रमांक:- ई-33/नेत्र सहा0/एम 123/2018/114

दिनांक : 5/3/18

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, धौलपुर, डूंगरपुर, जोधपुर, प्रतापगढ़ एवं बाड़मेर।
2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय बांगड़ चिकित्सालय पाली/
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, उप जिला चिकित्सालय बाड़ी, धौलपुर।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, विलाड़ा, जोधपुर।
5. कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं प्रभारी, सेटेलाईट अस्पताल, जोधपुर।
6. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, आसपुर (डूंगरपुर), लोर्डिया (जोधपुर) धरियावद (प्रतापगढ़) व धोरिमन्ना (बाड़मेर)
7. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को संबंधित अधिकारी की ईमेल एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज. जयपुर